न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः– 469/2022 दर्ज दिनांक 23.12.2022

जी सी एम एस न0 2022/1060 निर्णय दिनांक 18.04.2023

गोकुल सिंह पुत्र रेवत सिंह जाति दरोगा, उम्र 79 वर्ष निवासी इन्द्रपुरा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल आबाद खिरनी फाटक, तारानगर, झोटवाड़ा जयपुर राज.।

प्रार्थी ....

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक 18.04.2023**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम धनावता पटवार हल्का इन्द्रपुरा में भूमि खसरा न. 922/118 रकबा 3.3900 है0 स्थित है जो वादी के अकेले खातेदारी की है जिसकी जमाबन्दी ''ए'' मार्क की हैं व खसरा न. 920/118 रकबा 7.7100 है0 भी अवस्थित है जिसमें वादी की खातेदारी 1/10 हिस्से की है जिसकी जमाबन्दी ''बी'' मार्क की है खातेदारी में कोई विवाद नहीं है । वादी के तमाम रिकॉर्ड, आधार कार्ड, वोटरलिस्ट, राशन कार्ड व बैंक आदि में गोकुल सिंह दर्ज है जबकि खातेदारी में गोकुल सिंह की जगह गोकुल दर्ज कर दिया वादी के पिता को आम बोलचाल में सुखलाल कहते थे जबकि उनका रेवत सिंह था ये ना ही तमाम रिकॉर्ड में है इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी में उक्त टेक्निकल गलती हो गई– इस प्रकार खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में गोकुल पुत्र सुखलाल दर्ज है जबकि अन्य तमाम रिकॉर्ड में गोकुल सिंह पुत्र रेवत सिंह दर्ज है इस कारण काश्त की सुविधा व सरकार तमाम सुविधा प्राप्त करने में वादी को काफी परेशानी होती है सरकार सुविधा प्राप्त नहीं होती है इसलिए खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड में गोकुल सिंह पुत्र रेवत सिंह नाम दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है। इन्हीं के नाम की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड इस प्रकार से दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाने प्रार्थनीय है। वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादपत्र की धारा 2 में वर्णित प्रकार से वादी की खातेदारी में गोकुल सिंह पुत्र रेवत सिंह दर्ज किये जाने व इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड सही ... कर रिकॉर्ड में इन्द्राज करने का प्रतिवादी को आदेश दिया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज ... अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने आदेशिका में जवाब पेश कर लिखा कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में धनावता के खसरा न. 922/118 व 920/118 में गोकुल सिंह पुत्र रेवत सिंह जाति दरोगा किया जाना उचित है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोकुल पुत्र सुखलाल की बजाय गोकुल सिंह पुत्र रेवत सिंह दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है। बहस में अप्रार्थी ने कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में धनावता के खसरा न. 922/118 व 920/118 में गोकुल सिंह पुत्र रेवत सिंह जाति दरोगा किया जाना उचित है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम धनावता के भूमि खसरा न. 922/118 व 920/118 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोकुल पुत्र सुखलाल दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम गोकुल सिंह पुत्र रेवत सिंह दर्ज है। प्रार्थी का केवल मात्र प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में ही प्रार्थी का नाम गोकुल पुत्र सुखलाल गलत दर्ज हो गया है जिसको प्रार्थी राजस्व रिकार्ड मे दुरूरस्त करवाने का अधिकारी है उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है कि ग्राम धनावत के वर्तमान भूमि खसरा न. 922/118 रकबा 3.39 है0 व खसरा न. 920/118 रकबा 7.71 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोकुल पुत्र सुखलाल के बजाय गोकुल सिंह पुत्र रेवत सिंह शुद्ध/ दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राजात बदस्तुर रहेंगे।

18/4/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

18/4/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:21 IST
Reason: SelfAttested